न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 43 / 2011

1 साजन पुत्र ओमप्रकाश आयु 20 साल जाति नाई निवासी भूकाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र मालाराम
2 महावीर पुत्र मालाराम
3 कैलाश पुत्र मालाराम
4 सतवीर पुत्र मालाराम
5 होशियार पुत्र मालाराम
6 बनवारी पुत्र दयालाराम
7 रामकृष्ण पुत्र ओमप्रकाश
8 अन्तर पुत्री ओमप्रकाश समस्त जातियान नाई निवासी भूकाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
9 रजनी पुत्री ओमप्रकाश
10 राकेश पुत्र ओमप्रकाश नाबालिग जरिये संरक्षक माता बिमला देवी पत्नी ओमप्रकाश जातियान नाई निवासी भूकाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
11 शकुतंला पत्नी महेश
12 सुगनी पत्नी फूलचन्द जातियान जाट निवासी भूकाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
13 उप पंजीयक अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
14 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.03.2011 व डिक्री दिनांक 29.04.2011 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा उनवानी मुकदमा साजन बनाम ओमप्रकाश आदि बाबत घोषणात्मक, दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 06/2011

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राधेश्याम सामरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 06/2011 में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2011 व डिक्री दिनांक 29.04.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने घोषणा का वाद प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 289, 290 वाके ग्राम भूकाना के संदर्भ में उद्घोषणा चाही। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की ओर से आदेश 07 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादी वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दावे में सभी पक्षकारान (प्रतिवादीगण) की तलबी नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

हुई थी तथा न ही तलब हुए उन प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस ने कोई जवाब दावा ही प्रस्तुत किया था। इसलिए कानूनी रूप से बिना जवाब दावा प्रस्तुत किये तथा कानूनी विवाद्यक विरचित किये बिना ही आर्डर 07 रूल 11 सीपीसी के तहत दावा खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है। वाद की पोषणीयता संबंधी बिन्दू तो केवल जवाब दावा पेश करने एवं विवाद्यक विरचित किये जाने के बाद ही विनिश्चत किया जा सकता है तथा दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय को तथ्यों में एवं कानूनी आपत्तियों के संबंध में विवाद बिन्दू कायम कर उन पर दोनों पक्षों की साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरांत दोनों पक्षों की बहस सुन कानूनी दृष्टिकोण से अपना निर्णय दिया जाना चाहिए था। वादीगण पैतृक सम्पति या भूमि में अपना हक रखते है जिस सम्पति को दिगर व्यक्ति विक्रय नहीं कर सकता और अगर कोई व्यक्ति विक्रय पत्र किसी के हक में कर भी देता है तो वह सम्पति में हक रखने वाले व्यक्ति के अधिकारों पर निष्प्रभावी होता है। इसी प्रकार से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावे में किये गए विक्रय पत्रान में अपीलान्ट के हक–हिस्से का भी विक्रय पत्र करवाया गया है। इसलिए अपीलान्ट के खिलाफ विवादित विक्रय पत्रों के द्वारा कोई हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था और अपीलान्ट के हक तक विक्रय पत्र वोईड है। सिविल न्यायालय में वोईडेबल विक्रय पत्र को बेअसर घोषित करवाने के लिए रिलीफ लेने हेतु जरूरी है लेकिन जहां विक्रय पत्र वोईड हो वहां रेवेन्यू अदालत को दावा सुनने का श्रवणाधिकार है परन्तु विचारण न्यायालय ने इस ओर गोर न करने में भारी कानूनी भूल की है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय का दिनांक 28.03.2011 व डिक्री दिनांक 29.04.2011 को निरस्त फरमाया जावे तथा साथ ही मुकदमा विचारण न्यायालय के समक्ष मैरिट पर निर्णित करने हेतु प्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2010 (2) राज पेज 1241, डीएनजे 2024 रेव पेज 52, आरएलडब्ल्यू 2012(4) राज पेज 3050 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि की खातेदारी वादी अपीलांट के पिता के नाम हिस्से में दर्ज थी। वादी अपीलांट के पिता ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि विक्रय की है। वादी अपीलांट ने इन विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। सिविल न्यायालय से विक्रय पत्र निरस्त करवाये बिना विधि अनुसार वाद वादी राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि की खातेदारी वादी अपीलांट के पिता के नाम हिस्से में दर्ज थी। वादी अपीलांट के पिता ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि विक्रय की है। वादी अपीलांट ने इन विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। सिविल न्यायालय से विक्रय पत्र निरस्त करवाये बिना विधि अनुसार वाद वादी राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)